रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932
No. 152] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2010

फा. सं. एल-7/143/158/2008-केंविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (3) के उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) पूंजी पर्याप्तता या उधारपात्रता अपेक्षाएं

(क) आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए, आवेदक का शुद्ध धन (नेटवर्थ) उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों या ऐसी कम अवधि, जिसके दौरान आवेदन समामेलित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया है, तथा आवेदन के साथ लगाए गए विशेष तुलनपत्र की तारीख को नीचे विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा :

क्रम सं.	व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	वर्ष में व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा	शुद्धधन (रुपए करोड में)
1.	प्रवर्ग-1	कोई सीमा नहीं	50.00
2.	प्रवर्ग-2	1500 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	15.00
3.	प्रवर्ग-3	500 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	5.00
4.	प्रवर्ग-4	100 मिलियन यूनिट से अधिक नहीं	1.00"

3. मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"15. विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी

(1) ऐसे विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, को निम्नानुसार पुनः प्रवर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :—

यथासंशोधित केंविविआ व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम, 2004 के अनुसार प्रवर्ग	विद्यमान प्रवर्ग	प्रस्तावित प्रवर्ग
च (यदि व्यापार 1500 एमयू से अधिक है)	1 (यदि व्यापार 1500 एमयू से अधिक है)	1
घ, ङ तथा च (यदि व्यापार 1500 एमयू तक है)	1 (यदि व्यापार 1500 एमयू तक है)	2
ख तथा ग	1	3
क	3	4"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2010-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, (असाधारण) संख्या 28, भाग III, खंड 4 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 तारीख 2-6-2009 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2010, तथा

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), संख्या 197, भाग III, खंड 4, तारीख 23-10-2009 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2010

F. No. L-7/143(158)/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the principal regulations"), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 3 of principal regulations.**—Sub-clause (a) of clause (3) of Regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :—

"(3) Capital adequacy and Liquidity Requirements

(a) Considering the volume of Inter-State trading proposed to be undertaken, the net worth of the applicant for three years immediately preceding the year in which the application is made or such lesser period during which the applicant may have been incorporated, registered or formed and on the date of special balance sheet accompanying the application, shall not be less than the amounts specified hereunder :

Sl. No.	Category of the Trading Licence	Volume of Electricity proposed to be traded in a year	Net Worth (Rs. in Crore)
1.	Category I	No Limit	50.00
2.	Category II	Not more than 1500 MUs	15.00
3.	Category III	Not more than 500 MUs	5.00
4.	Category IV	Not more than 100 MUs	1.00"

3. **Amendment of Regulation 15 of principal regulations.**—Clause (1) of Regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as under :

"15. Existing Licensee

(1) The existing licensees granted licence under the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) Regulations, 2009 and CERC (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2006 shall be re-classified as under, namely :—

Category as per Trading License Regulations, 2004 as amended	Existing Category	Proposed Category
F (if trading above 1500 MUs)	I (if trading above 1500 MUs)	I
D, E & F (if trading upto 1500 MUs)	I (if trading upto 1500 MUs	II
B & C	II	III
A	III	IV"

ALOK KUMAR, Secy.
[ADVT. III/4/150/2010-Exty.]

Note: Principal regulations were published on 24-2-2009 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary), No. 28 and amended in terms of—

(a) Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, dated 2-6-2009; and

(b) Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for Grant of Trading Licence and other related matters) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, No.197, dated 23-10-2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.